राजस्थान सरकार

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
जिला—बाड़मेर

प्रार्थीनी	विप्रार्थीगण
1. सुखीदेवी पत्नी भागीरथराम जाति बिश्नोई निवासी रावलीनाडी, नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।	1. मोहम्मदरसुल पुत्र शेरखान जाति मुसलमान निवासी मीठे का तला तहसील धनाऊ 2. दिलीप कुमार पुत्र सुरजकरण जाति माहेश्वरी निवासी पनोरिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 3. बुधराम पुत्र नीम्बाराम जाति विश्नोई निवासी कोजा, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर। 4. तहसीलदार सेड़वा।

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न. 221 /2025

15/07/25 प्रार्थीनी सुखीदेवी पत्नी भागीरथराम जाति बिश्नोई निवासी रावलीनाडी, नगर तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर की ओर से अधिवक्ता **श्री श्रीराम विश्नोई** ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी धिनियम, 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ **तहसील सेड़वा के मौजा सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा भू.अ.नि. सेड़वा के नया खाता संख्या 717 के खसरा संख्या 1363/1330 रकबा 0—1295 हैक्टेयर, किस्म बारानी सोयम भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है।** प्रार्थीनी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीनी की बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के **स्थाई निषेधाज्ञा** का वाद प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते है। **अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख तक तहसील सेड़वा के मौजा सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा भू.अ.नि. सेड़वा के नया खाता संख्या 717 के खसरा संख्या 1363/1330 रकबा 0—1295 हैक्टेयर, किस्म बारानी सोयम भूमि से प्रार्थीनी को जबरन बेदखल नहीं करें व न ही प्रार्थीनी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी स्वयं करें अथवा अन्य किसी के मार्फत करवाये तथा न ही उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण करें, किसी प्रकार का कच्चा—पक्का निर्माण कार्य नहीं करें तथा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।**

इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्रार्थीनी इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रार्थीनी वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करे। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जबाव आगामी पेशी तारीख 15/09/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

15/09/25 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी निगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 24/09/25 को पेश हो।

24/09/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित, स्वयं अनुपस्थित। चूंकि मुकदमा अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है, अतः इस आवेदन को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः इस आवेदन की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.09.26 20:52:11 IST
Reason: SelfAttested